

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी


मुकाम-रूपनगढ़ जिला अजमेर

ज्ञाना देवी

बनाम रासकरण

किस्म मुकदमा :- 212 R.T. Act

नंबर ...212... वर्ष 20/14

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इमिथियस जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>No injunction जाहिर किया/प्राधी- गण को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 9-12-22 को पेश हो</p> <p>9-12-22 पत्रावली पेश हुई। वकील प्राधियागण के पक्षकारान उप. P.O. साहब नोटिस तामिल-दौरे/अवबखण पर पधारे है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक...14-12-22 को पेश हो</p> <p>14-12-22 पत्रावली पेश हुई। वकील अपाधी उपप प्रकरण में वकील प्राधी ने दिनांक 14-10-22 को No injunction जाहिर किया गया, जिस पर प्राधियागण को नोटिस जारी किये गये। प्राधियागण के नोटिस तामिल बुदा प्राप्त हुए। नोटिस तामिली उपरान्त भी प्राधियागण उपस्थित नहीं। प्राधियागण आज भी उपस्थित नहीं। अतः प्राधियागण का प्राधियागण-प्रकारिज किया जाता है। पत्रावली फंसल बुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	<p>उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)</p>  <p>उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)</p> 